6/6/17

राज्य सरकार एवं श्रीमान् जिला कलक्टर
महोदय ... तहसील
प्रकरण ... पत्रावली
नाम ... ग्रा.पं.
जु (नं) ... केन्द्र पर
दि. 23/6/17 ... पेश हो।

उपखण्ड कलक्टर (एस.डी.एम.)
बाड़मेर (जोधपुर)

23/6/17

आदालत न्याय आपके ... के कोई उपस्थित नहीं ...
दिनांक 24/8/17

उप खण्ड अधिकारी
उपखण्ड कलक्टर

24/8/17

आज श्रीमान् ए.सी.एम. / एस.डी.एम.
साहब दौरे / अवकाश ... है अतः
पेशी इत्तला की जाकर पत्रावली
तारीख 11/10/17 को पेश हो।

11/10/17 पत्रावली पेश हुई। वकील वादी गैर हाजिर। वादी व वकील वादी के न्यायालय बाहर सामने वादी व वकील वादी के न्यायालय बाहर आवाजें लगाई परन्तु न तो वादी व वकील वादी और न ही कोई वकील वादी और न ही इनकी ओर से कोई उपस्थित आए। सिवाय वादी द्वारा अपने अपूर्ण पत्रावली से खारिज किया जाना ही मिसल पूर्ण शुमार होकर काबिल फैसला की बाबत से था।

(राजेन्द्र कुमार डांगा)
R.A.S.